

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
—:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय-आदेश ::—

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-14 सपठित धारा-15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं श्रीमती रेखा यादव, आरजेएस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली निम्न आदेश पारित करती हूँ कि माह सितम्बर 2018 में पडने वाले अवकाश के दिनों में करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड,जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवायी हेतु सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर नहीं होने की स्थिति में कॉलम संख्या-4 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

माह अक्टूबर,2019

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
1.	02.	03.	04
1	सुश्री विभा आर्य RJS	अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली	02 अक्टूबर 2019
2	श्री मनोज कुमार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा	6,7व 8 अक्टूबर 2019
3	सुश्री कान्ता कुमारी RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली	12,13व 20अक्टूबर 2019
4	श्री युधिष्ठिर मीना RJS	अति० न्यायिक मजि० कम-1हिण्डौनसिटी	25,26,27 अक्टूबर 2019
5	श्री अमित कुमार शर्मा RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम	28,29 अक्टूबर 2019

माह नवम्बर,2019

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	मनोज कुमार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट सपोटरा	03 नवम्बर 2019
2	सुश्री शैला फौजदार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी	9,10,12 नवम्बर 2019
3	श्री राजीव दत्तात्रेय RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री महावीरजी	17 नवम्बर 2019
4	श्री राजीव दत्तात्रेय RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी	23,24 नवम्बर 2019

माह दिसम्बर,2019

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	श्री अमित कुमार शर्मा RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम	01 दिसम्बर 2019
2	सुश्री शैला फौजदार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन सिटी	08 दिसम्बर 2019
3	सुश्री विभा आर्य RJS	अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली	14,15 दिसम्बर 2019
4	सुश्री कान्ता कुमारी RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली	22 दिसम्बर 2019

sd-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

निर्देश:-

- 1.अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- 2.यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- 3.नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- 4.अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्य करेंगे एवं इसकी पालना आवश्यक है।**

[Signature]
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

कमांक- 872

दिनांक:- 20.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. संबंधित अधिकारी सर्व श्री.....
4. अध्यक्ष, बार एसोसिएसन न्यायालय परिसर, करौली ।
5. सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय करौली सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
6. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली ।
7. आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली ।